>

Title: Need to implement a uniform freight scheme for transportation of salt in Gujarat and Rajasthan.

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): मैं सदन का ध्यान आकÂिर्षत करना चाहती हूँ कि गुजरात के भुज भूकम्प के बाद सन् 2003 में गुजरात सरकार ने गुजरात नमक उत्पादकों को आर्थिक राहत प्रदान करने हेतु भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा साधारण नॉन रिफाईण्ड नमक पर दूरी के हिसाब से माल भाड़े में बदलाव कर गुजरात की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुचाया गया था। उक्त बदलाव गुजरात में सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यों के मद्देनजर किया गया था जो तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से उचित भी था।

वर्तमान में इतने वर्षों बाद जब गुजरात आर्थिक विकास में सम्पूर्ण भारत में अग्रणी बना हुआ है, इस व्यवस्था के जारी रहने से राजस्थान के छोटे-छोटे नमक उत्पादकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

राजस्थान के छोटे नमक उत्पादकों द्वारा समय-समय पर इस बाबत रेलवे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराने के बावजूद वर्तमान तक वही व्यवस्था जारी रखकर दूरी के हिसाब से माल भाड़े में बदलाव कर गुजरात के नमक उत्पादकों को फायदा पहुचाया जा रहा है।

अतः मेरा अनुरोध है कि राजस्थान के सभी नमक उत्पादकों की दशा को देखते हुए इस विषय पर चर्चा कर भाड़े में बदलाव दूरी के हिसाब से न करके समान रूप से किया जाए।